



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एक कदम स्वच्छता की ओर

एफ.4(2)/एसबीएम-जी/लेखा/आवंटन/2014-15/ 2904

जयपुर, दिनांक : 17-3-16

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-46/2015-16

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजनान्तर्गत, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी केन्द्रीय अंश एवं उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश की राशि रुपये 82979.80 लाख (अक्षरे रुपये आठ सौ उन्नतीस करोड़ उनियासी लाख अस्सी हजार मात्र) सम्बन्धित जिला परिषदों एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान के पीडी खातों में परिशिष्ट "क" अनुसार हस्तान्तरण करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग योजना के निर्धारित दिशा निर्देशों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुरूप तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित वर्ग हेतु ही किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

बजट मद	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल
मांग संख्या - 41 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (24) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप/गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	33353.93	22235.95	55589.88
मांग संख्या 30 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (26) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप/गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	4053.70	2702.47	6756.17
मांग संख्या 51 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (27) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप/गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	13527.86	7105.89	20633.75
कुल योग	50935.49	32044.31	82979.80

(अक्षरे रुपये आठ सौ उन्नतीस करोड़ उनियासी लाख अस्सी हजार मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-V) विभाग की आई.डी. संख्या 331600195 दिनांक 11.03.2016 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

संलग्न :- परिशिष्ट "क"

(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त राशि सम्बन्धित कोषालयों के माध्यम से हस्तान्तरण करने के राज्यादेश शीघ्र जारी करने का श्रम करावें।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राज0 जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, (मुख्यालय)।
- कोषाधिकारी सम्बन्धित जिला।
- आहरण एवं वितरण अधिकारी, पंचायती राज विभाग को भेज कर लेख है कि उक्तानुसार कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर से विभाग के पीडी खाता संख्या 3820 में राशि हस्तान्तरित करवायें।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त राशि जिला स्वच्छता मिशन के बचत खातों में सात दिवस में हस्तांतरित करावें। निर्धारित अवधि में राशि बैंक खातों में राशि हस्तांतरित नहीं होने की स्थिति में ब्याज की होने वाली हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे। राशि का उपयोग विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अर्थात् रहते हुये किया जावे।
- ए.सी.पी./प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रवण कुमार बुनकर)

निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सी.सी.डी.यू. (स्वच्छता), पंचायती राज विभाग, राजस्थान फोन- 0141 2227802 rajpr.dirccdu-rj@nic.in

